पुरानी पेंशन योजना पर स्पष्टता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में विपक्षी दल ने 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये **पुरानी पेंशन योजना (OPS) को जारी रखने के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया।**

- राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने **शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया।**

मुख्य बिंदु:

- यह योजना **सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन आय का आश्वासन देती है।**
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, **कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी जो अंतिम आहरित वेतन का आधा (50%) होता है** तथा उन्हें वर्ष में दो बार **महँगाई राहत (Dearness Relief)** में संशोधन का भी लाभ मिलता था। **भुगतान निर्धारित था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा OPS के तहत सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund-GPF) का भी प्रावधान था।**
  - **GPF भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है।** मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति देता है। **साथ ही कुल राशि जो रोज़गार की अवधि के दौरान जमा होती है, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को भुगतान की जाती है।**
- पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। **वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था।**

शून्यकाल

- **शून्यकाल** एक भारतीय संसदीय नवाचार है। **संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है।**
  - इसके तहत **संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं।**
- शून्यकाल, **प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है** और **दिन की कार्यसूची** (सदन का नियमित कामकाज) **शुरू होने तक चलता है।**
- दूसरे शब्दों में, **प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय के अंतराल को शून्यकाल कहा जाता है।**
  - **प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है।** सदन की प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/clarity-on-the-old-pension-scheme